

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 279
दिनांक 15.09.2020

जीएम फसलों की खेती संबंधी अध्ययन

279. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने जीएम फसलों की खेती संबंधी अध्ययन करवाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इन फसलों की खेती संबंधी अध्ययन को पूरा किए जाने के बावजूद इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है;
- (ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या मामले पर निर्णय लेने हेतु कोई अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) इस संबंध में सरकार का मत क्या है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) बीटी कपास ही आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) ऐसी फसल है जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित किया गया है। बीटी कपास के प्रभाव पर भाकृअप द्वारा दीर्घावधि अध्ययन आयोजित किए गए थे जिससे यह पता चला कि मृदा, सूक्ष्म पादपजात (माइक्रोफ्लोरा) और पशु स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। तथापि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 'आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें और पर्यावरण पर इनका प्रभाव' विषय पर 25 अगस्त, 2017 को संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि देश में जीएम फसलों से संबंधित लाभ और सुरक्षा के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मूल्यांकन के पश्चात ही जीएम फसलों की शुरुआत की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ जीएम फसलों के निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु नियामक संरचना के पुनर्गठन की भी सिफारिश की गई।

....2/-

(ख) से (घ): वर्ष 2002 में कपास बीजकीट (बालवर्म) प्रतिरोधी बीटी कपास संकरों/किस्मों की व्यावसायिक रिलीज हेतु अनुमोदन दिया गया था।

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड; तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर और भाकृअप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी के साथ सहयोग में मैसर्स माहिको द्वारा विकसित बैंगन शूट फ्लाई प्रतिरोधी बीटी बैंगन को जीइएसी द्वारा 2009 में अनुमोदित किया गया था परन्तु भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) द्वारा जीएम फसलों पर अधिरोपित 10 वर्षों की स्थगन अवधि के कारण व्यावसायिकरण के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाल ही में, आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (जीइएसी), एमओईएफ एवं सीसी मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2020-23 के दौरान आठ राज्यों में, देश में विकसित बीटी बैंगन की दो नई आनुवंशिक किस्मों के जैवसुरक्षा अनुसंधान प्रक्षेत्र परीक्षणों की फिर से अनुमति दी है परन्तु इसके लिए संबंधित राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) और इस प्रयोजन के लिए अलग भू-क्षेत्र की उपलब्धता की पुष्टि प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बैंगन के संकरों की स्वदेशी पराजीनी किस्मों-नामत: जनक और बीएसएस-793, जिनमें बीटी सीआरवाई1 एफए1 जीन (इवेन्ट 142) शामिल है, को राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, (एनआईपीबी, तत्कालीन राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विकसित किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जीएम सरसों धारा सरसों संकर 11 (डीएमएच 11) व्यावसायिक रिलीज के लिए लम्बित है क्योंकि जीइएसी ने पर्यावरणीय जैव-सुरक्षा, विशेषकर लाभकारी कीट प्रजातियों पर प्रभाव संबंधी संपूर्ण सुरक्षा मूल्यांकन आंकड़े सृजित करने का परामर्श दिया है। इस मामले में ऐसा कोई अनुरोध लम्बित नहीं है।

(ड) भाकृअप द्वारा सदैव ही जीएम फसलों पर अनुसंधान सहित विज्ञान आधारित नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया गया है। विभिन्न विशेषताओं के लिए अरहर, चना, ज्वार, आलू, बैंगन, टमाटर और केला के मामले में जीएम फसलों के विकास हेतु भाकृअप द्वारा वर्ष 2005 में 'फसलों में पराजीनी संबंधी नेटवर्क परियोजना' (वर्तमान में फसलों में कार्यात्मक जीनोमिक्स और आनुवंशिक संशोधन पर नेटवर्क परियोजना) का शुभारंभ किया गया था और सामग्री विकास के विभिन्न चरणों में है।

जीएम फसलों के सस्यविज्ञानी मान का परीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार ने काफी कड़े दिशा-निर्देश तैयार किए हैं ताकि किसानों के हितों को संरक्षित किया जा सके। इन दिशा-निर्देशों में जीएम बीजों की सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (आनुवंशिक मैनीपुलेशन समीक्षा समिति, आरसीजीएम) और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति, जीईएसी) में जीएम फसलों के लिए प्रचलित नियामक प्रणाली में परीक्षण के लिए मामला-दर-मामला के आधार पर जीएम फसलों पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
